ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14 Vol.-I, No.-1, PP-38-41, YEAR 2013

लिंगानुपात विषमता एवं घटती आधी आबादी

❑ **डॉ0 राजीव कुमार श्रीवास्तव**

प्राचीन काल से ही भारत में नारी को देवी के रूप में प्रतिशि्ठत किया जाता रहा है । वह लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में समृद्धि, बुद्धि एवं भाक्ति का प्रतीक मानी जाती रही है । उसे 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो भी कहा गया, किन्तु वास्तविकता में उसे मानवी के रूप में भी स्थापित नहीं होने दिया जाता, उसे दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है । नारी स ाक्तीकरण के इस युग में भी पुरुश प्रधान समाज की मानसिकता में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है । एक सर्वेक्षण के अनुसार दे ा की 37 प्रति ात महिलायें घरेलू हिंसा का ि ाकार होती हैं । घरेलू हिंसा पर जारी संयुक्त राश्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2009 में घरेलू हिंसा से मरने वालों की संख्या 8383 थी एवं उसी वर्श आतंकवादी हिंसा से मरने वालों की संख्या 2231 थी । क्या इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है? यह एक प्र न उठता है । महिलाओं के हित की दृश्टि से साप्ताहिक पत्रिका– न्यूजवीक की सितंबर, 2011 में सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट है कि 165 दे ों का ि ाक्षा, स्वास्थ्य, न्याय तथा आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कि भारत का स्थान 165 दे ों में 141वें स्थान पर था ।

संयुक्त राश्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर सन् 1948 में मानवाधिकारों की घोशणा की सन् 1995 में "मानवाधिकार स्त्री अधिकार है" नाम से एमनेस्टी इंटरने ानल जारी किया गया। संयुक्त राश्ट्र संघ ने यह भी इरादा व्यक्त किया कि सन् 2000 तक दुनिया से गैरबराबरी समान्त कर समतामूलक समाज की स्थापना हो, किन्तु आज भी दुनिया के सभी दे ों में मानवाधिकार स्त्रियों के लिये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं यहाँ तक कि न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं करते हैं । आज भी स्त्री अपनी अस्मिता बोध एवं समानता के स्तर पाने के लिये संघर्श कर रही है ।

यौन भेद और यौन हिंसा नारी की नियति बन गये हैं जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यौन भेद का क्रूरतम रूप भ्रूण हत्या है, जिसके कारण भारत में लिंगानुपात विशमता दे ा के लिये एक ज्वलंत समस्या है ।

पन्द्रहवीं जनगणना की अंतरिम रिपोर्ट 31 मार्च, 2011 को जारी की गई, जिसके अनुसार–

जनसंख्या – 121,01,93,422
पुरुश – 62,37,24,248
स्त्रियाँ – 58,64,69,174
लिंगानुपात – 940

भारत में स्त्रियों की संख्या में 1901 से अगर दृश्टि डालें तो निरंतर स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका कि प्रमुख कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, महिलाओं में अि ाक्षा, धार्मिक वि वास, परंपरायें, सामाजिक असुरक्षा, रूढ़िवादिता, भ्रूण हत्या आदि हैं ।

लिंगानुपात 1901 से 2011 तक

वर्ष	लिंगानुपात
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

विभामाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, एवं समन्वयक, उ0प्र0 रा0ट0मु0 विश्वविद्यालय,
पी0जी0 कॉलेज बॉसडीह बलिया (उ0प्र0) भारत

दे ा में प्रगति ील राज्यों में माने जाने वाले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सन् 2001 स्त्रियों की संख्या अन्य स्थानों से कम है । दिल्ली में प्रति 1000 में 865, हरियाणा में 820 और पंजाब में 793 थी । इन प्रदे ों में 2011 में उपरोक्त स्थानों में स्त्रियों के अनुपात में सुधार हुआ है, किन्तु अभी भी 900 से कम है । केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदे ा में यह लिंगानुपात करीब–करीब समान है । केरल में 2001 में लिंगानुपात 1000 में 1058 था ।

संयुक्त राश्ट्र जनसंख्या कोश (यू0एन0एफ0पीए0) की भारत प्रतिनिधि फ्रेडरिका मेजर उत्तर प्रदे ा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के आंकड़ों को बहुत चिंताजनक बतलाते हुए कहती हैं कि दहेज जैसी कुरीतियों की वजह से बेटियों को बोझ माना जा रहा है ।

प्रदेश	1000 पुरुष पर स्त्रियों का जन्म
उत्तर प्रदे ा	904
उत्तराखंड	866
बिहार	919
झारखण्ड	923

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से दे ा के नौ पिछड़े राज्यों में पहली बार जिला स्तर पर किये गये वार्शिक स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर यह भी ज्ञात हुआ कि गर्भ में बच्चियों को मारने में बिहार का सीतामढ़ी सबसे आगे है । 1000 लड़कों में 869 लड़कियाँ पैदा हुईं । मथुरा में यह अनुपात 790 है । यह अनुपात कम से कम 950 अव य होना चाहिए ।

लिंगानुपात में विशमता की दूसरी स्थिति तब पनपती है जब बच्चीका जन्म तो हो जाता है किन्तु 06 वर्श तक आते–आते उनकी मृत्यु हो जाती है।

वर्ष	06 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात
1961	976
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927
2011	914

उपरोक्त आंकड़े स्पश्ट करते हैं कि बच्चों से उनके जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है । 06 वर्श की बच्चियों के लिंगानुपात में हिमाचल प्रदे ा, हरियाणा और पंजाब में 2001 की तुलना में कुछ सुधार हुआ है, गुजरात में भी सुधार दर्ज किया गया । इन राज्यों में बाल लिंगानुपात 850 से भी कम का जो कि 2011 में भी 900 तक नहीं पहुँच पाया है ।

25 प्रति ात बच्चियों की मृत्यु कुपोशण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हो जाती है । बच्चियों के प्रति उदासीनता के कारण माँ को भी पौश्टिक आहार एवं उचित देखभाल नहीं मिल पाती है, जिससे माँ के गिरते स्वास्थ्य के कारण बच्चियों को कुपोशण एवं बीमारी ग्रसित कर लेती है । 2001 एवं 2011 की जनगणना में अप्रत्या ात गिरावट पाई गई है । संयुक्त राश्ट्र संघ ने भी कहा कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पर 800 से भी कम हो गया है जो सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय दृश्किोणो से घातक सिद्ध हो सकता है ।

लिंगानुपात विशमता के संदर्भ में एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया है कि हमारे दे ा में महिलाओं की बड़ी संख्या खो गई है । इसका कारण महिलाओं और बच्चियों की तस्करी है । बड़ी–बड़ी एजेंसीज अवैध व्यापार कर रही हैं, विवाह और नौकरी का प्रलोभन देकर यह व्यापार कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए चल रहा है । गरीबी, बेरोजगारी के कारण बढ़ते हुए व्यापार, को रोकने के लिए सरकार को सक्रिय प्रयास करने होंगे ।

लिंगानुपात में विशमता का प्रमुख कारण कन्याभ्रूण हत्या, बच्चियों की मृत्यु तथा महिला एवं बच्चियों की तसकरी है । इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मान्यतायें हैं । दहेज प्रथा इसका कारण है, साथ ही धार्मिक परम्परायें जिसके अंतर्गत पुत्र को ही मुखाग्नि देने का अधिकार है । पिण्डदान, तर्पण, श्राद्ध आदि परंपरायें पुत्र का अधिकार मानी जाती हैं । पुत्र लालसा का एक बहुत बड़ा कारण ये प्रथायें तथा वं ा की निरंतरता एवं वृद्धावस्था में देखभाल भी पुत्र के ऊपर निर्भर करता है । लड़कियाँ

विवाह के पश्चात् घर छोड़ देती हैं, किन्तु ऐसी स्थिति लड़कों के साथ भी होती है । वह नौकरी या व्यवसाय के लिए बाहर चले जाते हैं । कई घरों में पुत्रियाँ अपने माता–पिता का आर्थक भार सँभालती हैं । इस व्यवस्था को कानून के दायरे में लाने की आव यकता है।

यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्श 30 लाख भ्रूण हत्या होती है, जो कि कन्यायें ही होती हैं । एक अन्य अध्ययन के अनुसार सन् 1980 से 2010 के बीच 1 करोड़ 20 लाख बच्चियों को गर्भ में ही समापत कर दिया गया । इसमें ज्यादातर उन बच्चियों को मारा गया जो भ्रूण परीक्षण में दूसरी बेटी थी, जबकि भारतीय दंडसंहिता की धारा–312 से 315 तक में भ्रूण हत्या रोकने के प्रावधान किये गये हैं । इसके अंतर्गत जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी हत्या करने के आ ाय से किये गये कार्य को करने वाले व्यक्ति को 10 वर्श का कारावास दिया जा सकता है । दूसरी संतान के रूप में जन्मी बच्चियों का अनुपात 1990 में 1000 में 906 तथा सन् 2005 में 836 था ।

उत्तर भारत से लेकर दे ा के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में यह गिरावट आई है । यह अध्ययन किया गया है कि पहली बेटी होने पर दूसरी कन्या की भ्रूण हत्या ज्यादातर पढ़े–लिखे रईस परिवार और भाहरी इलाकों में होती है ।

वैधानिक प्रावधानः सन् 1971 के चिकित्सकीय गर्भाधान अधिनियम तथा 1994 के प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम के लागू होने के बावजूद भ्रूण हत्या एक बड़े व्यवसाय के रूप में पनप रहा है । भारत में प्रतिवर्श 300 करोड़ की अल्ट्रासाउन्ड म ाीन खरीदी जाती है तथा लिंग निर्धारण एवं भ्रूण हत्या का व्यवसाय 500 करोड़ रूपये का पनप रहा है ।

प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 20 दिसम्बर, 1994 को पारित किया गया, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं–

1. प्रयोग ााला, क्लीनिक पंजीकृत होना चाहिये। परीक्षण केन्द्र के पास निर्धारित चाहिये, किन्तु ऐसा चिकित्सक भी पंजीकृत केन्द्र में ही परीक्षण करेगा ।
2. ये परीक्षण निर्धारित बीमारियों के लिये ही प्रयोग में लाये जायेंगे ।
3. परीक्षण कराने वाली महिला की आयु 35 वर्श से अधिक हो तथा उसके कम से कम दो बार गर्भपात हो चुका हो अथवा उसके या उसके परिवार में भाारीरिक या मानसिक विकलांगता की पृश्ठभूमि रही हो ।
4. निर्धारित उद्दे यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु परीक्षण करवाने हेतु गर्भवती महिला की लिखित सहमति होनी चाहिये । भ्रूण के लिंग के विशय में जानकारी किसी को नहीं दी जायेगी ।
5. भ्रूण परीक्षण हेतु किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाि ात करवाना प्रतिबन्धित है ।
6. निर्धारित कारणों के अतिरिक्त परीक्षण करने पर कानून का उल्लंघन होगा इस पर–
   क. पहली बार 3 वर्श तक की सजा तथा 10 हजार रूपये का जुर्माना ।
   ख. उसके पश्चात् 5 वर्श तक की सजा तथा 50 हजार रूपये तक का जुर्माना।
7. दोशी पंजीकृत चिकित्सकों के मामले में पहली बार में मेडिकल काउन्सिल से उनका नाम 2 वर्श तक तथा अगली बार ऐसा करने पर मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया को कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा ।
8. ऐसे पंजीकृत केन्द्रों को जहाँ कानूनी कार्यवाही चल रही हो, सुरक्षित रखा जायेगा, जब तक कार्यवाही समाप्त न हो जाये ।
9. प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र पर हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा स्थानीय भाशा में यह नोटिस लगाना आव यक है– "भ्रूण के लिंग की जाँच कराना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है ।"

समाधानः कानून बनाना और इसको कार्यान्वित करना अलग–अलग हैं । गर्भपात के अधिकार का भ्रूण हत्या के लिए दुरुपयोग किया जाता

है । टी0वी0 पर आये "सत्यमेव जयते" कार्यक्रम से यह स्पश्ट हुआ कि भ्रूण हत्या के विरुद्ध कार्य करने वाले समाजसेवी भाोशित होते हैं और आज तक किसी भी चिकित्सक से उसका चिकित्सक का अधिकार नहीं छीना गया । सरकार का ढीला रवैया तथा सरकारी तंत्र के भ्रश्टाचार के कारण लिंगानुपात में विशमता बनी हुई है । यद्यपि इसके सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं ।

1. भारतीय चिकित्सा परिशद् (MCI) चिकित्सक को यह प्रतिज्ञा करवाती है कि वह भ्रूण हत्या जैसा जघन्य कार्य नहीं करेंगे, किंतु इसके बावजूद अवैध रूप से प्रसव पूर्व परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में हो रहे हैं । चिकित्सकों को समय–समय पर प्रि ाक्षण देकर नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना चाहिये ताकि वे बच्चियों से जीने का अधिकार न छीनें ।
2. समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ाना एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करने के प्रयास करने होंगे । समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कि बेटियों ने माँ–बाप को सहारा दिया है, मुखाग्नि दी है, पितृऋण को चुकाया है । माँ–बाप के पालन–पोशण की जिम्मेदारी में बेटी को भी कानून के दायरे में लाने की आव यकता है ।
3. स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका जनजागरण हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । वर्तमान समय में कई संस्थायें भ्रूण हत्या के विरुद्ध सार्थक प्रयास कर रही हैं पर वे पर्याप्त नहीं हैं । मानसिकता बदलने के लिये निरंतर प्रहार करने की आव यकता है ।
4. संपत्ति में बेटी के अधिकार को क्रियान्वित करके दहेज प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये । लड़कियों और लड़कों में भी स्वाभिमान की भावना जागृत करना आव यक है, क्योंकि वर्तमान समय में लड़कियाँ अपने माता–पिता से तथा लड़के ससुराल से सरल तरीके का साधन जुटाने की मानसिकता रखते हैं । स्वाभिमान की भावना जागृत करना आव यक है, क्योंकि वर्तमान समय में लड़कियाँ अपने माता–पिता से तथा लड़के ससुराल से सरल तरीके का साधन जुटाने की मानसिकता रखते हैं ।
5. गोश्टियाँ, रैली, नुक्कड़ नाटक, वादविवाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल, कॉलेज तथा अन्य संस्थाओं द्वारा भ्रूण हत्या के विरुद्ध आयोजित किया जाना चाहिये ।
6. भारत में व्यक्ति धर्मपरायण के साथ ही धर्मभीरु भी है । धर्म गुरु, संत, महात्मा यदि इस सम्बन्ध में प्रचार करेंगे तो जनता पर इसका प्रभाव अव य पड़ेगा । हमें ऐसे प्रयासों के लिये पहल करनी होगी ।

महिलायें तेजी से विकास की ओर बढ़ रही हैं । ऐसा कोई भी क्षेत्र. नहीं है जहाँ उन्होंने बुलंदियों को न छुआ है । ऐसी समर्थ और स ाक्त महिलायें स्वयं आगे बढ़कर समाज की मानसिकता संकल्प के साथ बदलें । उन्हें ही भ्रूण हत्या एवं बालिका मृत्यु जैसे आधी आबादी के कलंक को धोना होगा तथा एक मि ान की तरह कार्य करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. बेहरा, आ ारानी, नारी भाोशण, आइने और आयाम, 2005.
2. भारत की जनगणना रिपोर्ट, 2011.
3. भारत–2010.
4. योजना – अक्टूबर, 2008, वर्श 53 अंग, 10.
5. योजना – जुलाई, 2011 वर्श 55 अंक–7.
6. *Report on Copen Hegan World Women's Conference, 1980.*
7. *The Society, Vol. 12, Dec., 2010.*
8. भार्मा, नमिता : बेटा वं ा के लिये बेटियाँ समाज के लिये, पर्यावरण विकास, वर्श 2009 अंक 10.
9. *Mittal, Mukta (1995) "Women Power in India", Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi.*
10. डॉ0 भावना – भारतीय संविधान और महिलाओं के वैधानिक अधिकार ।
11. दैनिक जागरण – 18 जुलाई, 2012.

*****